4/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण वकील वादीगण का मनन किया गया। वादीगण ने यह वाद पेश की खातेदारी की मालकी सर्वे नं० 1071 मामला 1075 ग्राम पंचायत वादीगण की मालूम होने पर बोर राजस्थान के नाम की खातेदारी होकर अवैध है। मौजूदा स्थिति 8 फीट ऊंची वादीगण ने बना रखी है। प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि के चुराई मामले जेसीबी मशीन करने पर वादीगण हस्तक्षेप करने पर रहने मांगने पर यह दावा वादीगण के पक्ष में डिक्री है। प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण की मशीनरी से वादीगण की भूमि पर खुदाई हुई है। वादीगण प्रतिवादीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि पश्चात कब्जे की कार्यवाही हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:35:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर विपक्ष अधिवक्ता को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। वादीगण ने अपने दावा में पत्नी संजय शर्मा का बयान लेकर पेश कराया है एवं जमाबंदी नकल 2022-23 उपखंड-1 पेश की है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबंदी व मौखिक साक्ष्य से अधि वादीगण की मौ. हीरो के नाम की वादीगण की खातेदारी की होना चाहिये है। अधिवादीगण का निवासित अधि के कोई खातेदारी संबंध नहीं है। दावा वादीगण किसी लिखे गये नहीं। अतः दावा वादीगण विरुद्ध अधिवादीगण किसी लिखे जाता है। अधिवादीगण को मार्ग विवाद से पाबंद किया जाता है कि खसरा नं. 1071-1072 कुल क्षेत्र-5 कुल रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा तक समझौता तहसील समझौता में वादीगण के कब्जे कायम है। रास्ता नहीं करेंगे एवं वादीगण की दीवार को अतिक्रमण नहीं करेंगे। तदुपरान्त पत्रावली किसी लायी हो। [illegible] अधिवादीगण विरुद्ध नोटिस के [illegible] हुआ किसी भी [illegible] हुआ मानें।	

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:35:24 IST
Reason: SelfAttested